दिनांक 26.03.2015 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की विशेष बैठक में लिये गये निर्णयः-

1. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री सूरजमल रोज, सदस्य वार्ड नं0 5, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
8. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री अजय जैन सदस्य वार्ड नं0 15, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमति पूनम किलोई, वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम नगर निगम के वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया जिसपर विभिन्न सदस्यो द्वारा अपनी-2 प्रतिक्रिया व्यक्त की।

क्रमांक	एजेन्डा बिन्दू	निर्णय
1	वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान अनुमोदन करने हेतू	विभिन्न सदस्यों द्वारा बजट अनुमान पर अपनी-2 प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुछ बिन्दूओं पर असहमति जताई गई जिस पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा म्यूनिसिपल अकाउन्ट कोड, 1930 का हवाला देते हुए बताया गया कि बजट अनुमान में अकाउन्ट कोड में वर्णित मदों का ब्योरा भी दिया जाना संभव है। जिस पर सदस्यों द्वारा असहमति जताई गई तथा सर्व सम्मति से निर्णया लिया गया कि लेखा शाखा द्वारा प्रस्तुत बजट का मानीनीय पार्षदों द्वारा नियुक्त किये गये चार्टेड अकाउटेन्ट की प्रतिक्रिया लेने उपरान्त आम बजट को अगली बैठक में रखा जाये।

तदोपरांत सभी पार्षदों द्वारा नगर निगम की दिनांक 27.01.2015 कों हुई बैठक व उसमें लिये गये निर्णयों का पुनः आंकलन करने के लिए अनुरोध किया गया जिस पर माननीय अध्यक्षा महोदया द्वारा पूर्व बैठक मे लिए गये निर्णयो पर बिन्दूवार विचार विमर्श करने के निर्देश दिये गये।

क्र. स.	मद संख्या	एजेण्डा	टिप्पणी	निर्णय
1	I	पार्षदों को टोल प्लाजा में छूट देने बारें।	इन कार्यो के लिए मेयर महोदय द्वारा बताया गया कि मेयर कार्यालय द्वारा दिनांक 25.12.2014 व 21.1.2015 को इस बारे सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। आगामी कार्रवाई सरकार से निर्णय उपरांत की जायेगी जिसके लिए प्रयास जारी है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य पार्षदों से भी सहयोग लिया जायेगा। **(मेयर महोदया)**	इस बारे मेयर महोदया ने बताया कि उनके द्वारा मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।
	II	पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मैडिकल सुविधा देने बारें।		
	III	नगर निगम के अन्दर आने वाले निगम पार्षद के कार्यकाल में जनहित के कार्य के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका खर्चा नगर निगम, रोहतक द्वारा वहन किया जायेगा।		
2		सभी वार्डो में बाकी वाटर कूलर लगाने बारें।	अधिकतर वाटर कूलर लगा दिये गये है। बाकी कूलर दिनांक 31.01.2015 तक लगा दिये जायेगे। **(कार्यकारी अभियंता-I & II)**	अधीक्षक अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी वार्डो में वाटर कूलर लगवा दिये गये है, परन्तु कुछ वार्डो में पानी व बिजली के कनैक्शन नही लगे है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक अभियंता ऐसे सभी वार्डो के वाटर कूलरो पर पानी व बिजली लेने की कार्रवाई एक मास के अन्दर कर सम्बन्धित पार्षद को अवगत करायेंगे।
3		नगर निगम द्वारा लगाये गये झूलों की गुणवत्ता बारें।	पार्को में नये लगाये जाने वाले झूलों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता- I & II)**	कुछ पार्षदों द्वारा उनके वार्ड मे स्थित पार्को के झूलों व सीढियो आदी की मुरम्मत बारे कहा गया। अध्यक्षण महोदया द्वारा अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सम्बन्धित पार्षद से विवरण प्राप्त करने उपरांत इस प्रकार से झूलों व सीढीयों की एक मास के अन्दर-2 मुरम्मत करवाकर सम्बन्धित पार्षद को अवगत करवायेंगे।
4		नगर निगम की राशि से अन्य विभागों द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता जॉच हेतु।	दिनांक 20.01.2015 को सैम्पल लेने हेतु टीम नही पहुँचने के कारण सैम्पलिंग नही हो सकी इसलिए दिनांक 10.02.2015 तक सैम्पलिंग करवाने के निर्देश दिये गयें। **(कार्यकारी अभियंता- I & II)**	अधीक्षक अभियंता द्वारा बताया गया कि पूर्व निर्णय को लागू करने के लिए 16.03.2015 को विभिन्न अन्य विभागों के माध्यम से कारवाये गये विकास कार्या के सैम्पल लिए जा चुके है। सैम्पल रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत कार्रवाई की जायेगी। मामले में निगम चलाए जा रहे विकास कार्यो के लिए भी थर्ड पार्टी ईन्सपैक्शन की सलाह दी गई, परन्तु पूर्व में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विकास कार्य करवाए व उनकी अदायगी करने बारे।
5		राजीव आवास योजना के तहत खेड़ी सांध,	निगम अभियंता श्री जगदीशचन्द्र ने बताया कि इस बारे	पूर्व निर्णय पर सभी पार्षदो द्वारा सहमति जताई गई।

		पहरावर व बलियाणा गॉव के कुछ पात्रों को लाभ न मिलने बारें।	सर्वे जारी है जो कि एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा किसी भी लाभपात्र को छोड़ा नही जायेगा। **(नगर अभियंता)**	
6		रिंग बाध की रिपेयर व स्ट्रीट लाईट लगवाने बारें।	यह कार्य राजीव आवास योजना के तहत किया जाना है जिसमें सीवर ट्रीटमैन्ट प्लाट लगाया जाना है जिसके लिए रिंग बाध के नीचे पहले सीवर लाईन डाली जानी है। परन्तु स्थानीय निवासियों द्वारा अवैध कब्जे के कारण उस कार्य में गतिरोध है। इस पर पार्षद ने अनुरोध किया है कि इस प्रोजेक्ट की राशि को गॉव की गलियों व खुला नाला बनवाने के लिए प्रयोग किया जायें। विस्तृत विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है कि संयुक्त आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में निगम अभियंता व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित दिनांक 29.01.2015 को मौके का निरीक्षण उपरांत उचित प्रस्तावना दी जायेगी जिसकी आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जायेगा। **(कार्यकारी अभियंता-।)**	मामले मे अधीक्षक अभियंता द्वारा पूर्ण जानकारी दी गई जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मामले में निम्नलिखित अधिकारियों व पार्षदों की कमेटी गठित की जाती है:- 1. अधीक्षक अभियंता, नगर निगम (संयोजक)। 2. कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग, यांत्रिकी। 3. श्रीमति मंजू, सीनियर डिप्टी मेयर 4. श्रीमति सरिता, पार्षद वार्ड नं0-7 5. श्रीमति लक्ष्मी, पार्षद वार्ड नं0-20 उपरोक्त कमेटी 15 दिन के अन्दर-2 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
7	I	मॉडल टाऊन बारात घर में अवैध कब्जा हटवाने बारें।	इस बारे दो नोटिस दिये जा चुके है। अंतिम नोटिस जारी करने उपरांत कोई एतराज प्राप्त न होने पर बारातघर की मलकियत अपने अधीन लेने की कार्रवाई करने के निर्देश दिये गयें। **(भू-अधिकारी)**	इस बारे भू-अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
	II	श्रीराम ट्रस्ट की सम्पत्ति बारें।	इस कार्य के लिए पूर्व गठित समिति की बैठक दिनांक 10.02.2015 तक करने व नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गयें। **(भू-अधिकारी)**	इस बारे भू-अधिकारी को माननीय न्यायालय में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
8		वार्ड 20 में स्टेडियम बनवाने बारें।	जनस्वाष्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग व कस्लटैण्ट एजेन्सी से विचार विमर्श उपरांत पाया कि इस जोहड के स्थान पर स्टेडियम बनवाना संभव नही है जिस पर 1.75 करोड़ रू0 व्यय का अनुमान है। जब तक सीवरेज व्यवस्था व बरसाती पानी निकासी का उचित प्रबंध नही होता तब तक इस जोहड़ का आधा भाग स्टेडियम में तबदील करने का औचित्य नही है। सीवर कार्य राजीव आवास योजना के तहत किया जायेगा इस प्रोजैक्ट बारे विस्तृत रिपोर्ट कार्यकारी अभियंता-।। द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिसे आगामी बैठक में रखा जायें।	अधीक्षक अभियंता नगर निगम को संयोजक नियुक्त करते हुए 10.04.2015 तक वार्ड पार्षद को साथ लेकर मामले मे पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

			(कार्यकारी अभियंता-।।)	
9		भवन प्लान स्वीकृत करने बारें।	इस विषय पर गठित समिति द्वारा दिनांक 02.01.2015 को की गई बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार भवन शाखा द्वारा नक्शे पास करने की कार्रवाई की जा रही है। गठित कमेटी के सदस्यों के अनुरोध पर कमेटी भंग करने तथा भवन शाखा द्वारा नगर निगम अधिनियम व बिल्डिंग-बाईलाज के प्रावधानों अनुसार ही नक्शें पास करने का निर्णय लिया गया। (सहायक नगर योजनाकार)	पूर्व निर्णय को सही माना गया।
10		नगर निगम क्षेत्र में सभी कालोनियों में मकान नम्बर की प्लेट लगवाने बारें।	इस मद पर होने वाले अनुमानित व्यय 45.25 लाख रू0 और नगर निगम की वित्तिय स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस कार्य को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ लेखा अधिकारी को नगर निगम द्वारा करवाये जाने वाले कार्य लम्बित भुगतान, देनदारियां उपलब्ध वित्त संसाधनों व फिक्स डिपोजिट सहित नगर निगम की सम्पूर्ण वित्तिय स्थिति बारे रिपोर्ट 7 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गयें। (वरिष्ठ लेखा अधिकारी)	पूर्व निर्णय को सही माना गया।
11		नगर निगम सीमा के गऊशाला स्थापित करने बारे।	इस कार्य के लिए गठित समिति द्वारा नगर निगम गुडगॉवा द्वारा संचालित गऊशाला का मुआयना किया गया। कमेटी द्वारा मुआयना रिपोर्ट प्रस्तावना सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस कार्य पर होने वाले व्यय, उपियोगिता एवं रख-रखाव व्यवस्था बारे विस्तृत विचार विमर्श उपरांत उपलब्ध स्थान की दीवार करवाने का निर्णय लिया गया। (कार्यकारी अभियंता-।।)	सरकार के स्तर पर मामला विचाराधीन है।
12		नगर निगम क्षेत्र में स्थित सामुदायिक केन्द्रों का रख-रखाव एवं प्रबंध बारें।	कार्यकारी अभियंता-। से नगर निगम क्षेत्र में स्थित 96 सामुदायिक केन्द्रों की लिस्ट प्राप्त हो चुकी है। कार्यकारी अभियंता-।। से लिस्ट प्राप्त होने उपरांत आगामी बैठक में प्रत्येक सामुदायिक केन्द्र के प्रबंध के लिए स्थानीय पार्षद की अधिकता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता-।।)	मामले मे श्री अजय कुमार जैन, पार्षद वार्ड नं0-15 की अध्यक्षता में निम्नलिखित पार्षदों की कमेटी गठित की गई:- 1. श्री अशोका खुराना, पार्षद वार्ड नं0-10 2. श्रीमति अनीता मिगलानी पार्षद वार्ड नं0-11 3. श्रीमति उपासना देवी, पार्षद वार्ड नं0-08 4. श्री बलराज बल्लू, पार्षद वार्ड नं0-9 उक्त कमेटी कार्यकारी अभियंता तथा भू अधिकारी को अपने साथ लेकर विभिन्न सामूदायिक केन्द्रो की रिर्पोट एक मास में दें।
13		स्ट्रीट लाईट खरीदने बारें।	इस बारे बताया गया कि स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए टैण्डर आमंत्रित किये जा चुके है। परन्तु केवल एक टैण्डर	पूर्व निर्णय अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये।

			प्राप्त है जिसे निर्णय के लिए रखा गया है। इस पर निर्णय लिया गया है कि एक मात्र टैण्डर पर खरीद निर्णय नही लिया जा सकता। अतः स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए पुनः टैण्डर आमंत्रित कर शीघ्र निर्णय उपरांत स्ट्रीट लाईट खरीद प्रबंध करने के निर्देश दिये गए। **(अधीक्षक अभियंता)**	
14		नगर निगम में आऊटसोर्स आधार पर रखे गये कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों की संख्या ड्यूटी स्थान व प्रमाण पत्रों की जॉच बारें।	इस कार्य के लिए गठित समिति द्वारा रिपोर्ट दे दी गई है जिस पर आगामी कार्रवाई की जा रही हैं। **(कार्यालय अधीक्षक)**	वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर नगर निगम में आउटसोर्स पर रखे गये कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों को रखने या हटाने बारे आगामी कार्रवाई की जाये। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति वार्ड वाईज क्षेत्रफल पर करने बारे विचार किया जाये।

इसके पश्चात् बैठक मे 26.03.2015 की बैठक के लिए जारी निम्नबिन्दूओ पर निम्नानुसार चर्चा की गईः-

क्र0 नं0	विषय	टिप्पणी	निर्णय
1	a. पूरे नगर निगम रोहतक में पिछले 8 महीने से एक भी स्ट्रीट लाईट नही खरीदी गयी है जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। इसलिये जल्दी से जल्दी स्ट्रीट लाईट खरीदी जाये।	a. नगर निगम, रोहतक द्वारा 1000 स्ट्रीट लाईट Crompton Company के लिए दिनांक 29.11.2014 के लिए टैण्डर आमन्त्रीत किए गए थे। जिसमें सिर्फ एक टैण्डर प्राप्त हुआ। Single टैण्डर होनें की वजह से टैण्डर रद्द कर दिया गया और पुनः दिनांक 24.02.2015 के लिए आमन्त्रीत किए गए। जिसमें छः फर्मो नें भाग लिया। जिनमें से तीन फर्मो के दस्तावेज पूर्ण न होनें की वजह से नहीं खोले गए व बाकि तीन फर्मो के टैण्डर खोले गए, जिनमें सबसे कम रेट S.B. Trading Co., Chandigarh के पाए गए। तथोपरान्त ओडिट शाखा द्वारा एक ही फर्म से लाईटें लेने पर एतराज जताया गया, इसलिए नये सिरे से स्ट्रीट लाईट की Specification निर्धारित करके निर्माता कम्पनियों से तक ई–टैण्डर प्रक्रिया दिनांक 30.04.2015 तक पूरी कर ली जाएगी।	a. कार्यकारी अभियंता (बिजली) द्वारा बताई गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

	b. पूरे शहर में स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग काफी समय से हो रही है। क्योंकि शहर में जगह जगह दुर्घटनायें हो रही है। आवश्यक जगहों पर स्पीड ब्रेकर लगाये जाये जैसे स्कूलों व अस्पतालों के सामने।	b. इस प्रायोजन हेतु 9.95 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत करवा दिया गया है। दिनांक 17.04.2015 को टैण्डर खोले जाएगे। स्थान चिन्हित करने के लिए संयुक्त आयुक्त, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में दिनांक 01.04.2015 को सुबह 11:00 बजे बैठक बुलाई गई है। स्थान चिन्हित करने उपरान्त स्पीड ब्रेकर लगाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	b. अधीक्षक अभियंता, नगर निगम द्वारा बताई गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
2	नगर निगम रोहतक द्वारा जनता की सुविधा के लिये स्ट्रीट लाईट पूरे शहर में लगाई जाती है जिसके लिये नगर निगम जनता से 5 पैसे प्रति यूनिट उनसे वसूल रही है, लेकिन इनका खर्चा निगम द्वारा बिजली विभाग को काफी जयादा दिया जाता है। इसलिये इस राशि को बढाकर कम से कम 12 पैसे प्रति यूनिट करने की सदन से स्वीकृति ली जाये।	**हरियाणा सरकारकी अधिसूचना कर्मांक** 9/26/2000-5**का दिनांक** 16.05.2000 **की और आकर्षित करना चाहूँगा जिसके आधार पर पालिकाओ की सीमा में खपत होने वाली बिजली पर 1 पैसे से बढाकर 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से शुल्क लगाया गयाहै**"The Governor of Haryana hereby notifies & requires that a committee shall impose tax on the consumption of electricity at the rate of five paisa for every unit of electricity consumend by any person within the limits of a municipality in the state of Haryana. **इसमें सरकार ही कार्यवाही करने में सक्षम है।**	सर्वसम्मति से अस्वीकार किया गया।
3	नगर निगम में शामिल हुए गांवों में सुनारिया और बलियाणा में गरीब परिवारों को 100–100 गज के प्लाट दिये गये थे उन पर जल्दी से जल्दी कब्जा दिलवाया जाये।	**सुनारियां गांव** में जेल के पास नगर निगम की 3 एकड भूमि चिन्हित की गई है। यह भूमि उबड–खाबड है तथा इस पर कंटीली झाडियां उगी हुई है। कंटीली झाडियां को हटाने तथा जमीन को समतल करने के लिए अनुमान 13.50 लाख रुपये का अनुमान तैयार कर दिया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सरकार की हिदायत अनुसार ई–टैण्डर 30.04.2015 तक मांग लिए जाएगें और निशानदेही व पैमाइश जो लगभग 10 दिनों में पूरी होगी, करने उपरान्त जमीन 30.06.2015 तक समतल करके भू–शाखा को सौंप दी जाएगी। इसके पश्चात 15 दिन के अन्दर कब्जा कार्रवाई भू–शाखा द्वारा पूर्ण कर दी जायेगी। ***भू-अधिकारीः-*** ***गॉव सुनारियां :-*** 1 उपायुक्त महोदय द्वारा की गई उच्च अधिकारियों	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

		की गठित कमेटी द्वारा वर्ष 2008 में बी0पी0एल0 परिवारो को प्लाट अलाट करने की सर्वे सूचि फाइनल की गई थी। 2 उपायुक्त कार्यालय द्वारा फाइनल की गई सर्वे सूचि दिनांक 14-08-2012 को प्लाट अलाट करने के लिए नगर निगम को भेजी गई। 3 गाँव सुनारिया खुर्द में महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 107 प्लाट धारकों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत द्वारा अलाट किए गए थे। 4 इन प्लाटो की रजिस्द्री ग्राम पंचायत द्वारा उस समय नही करवाई गई। ग्राम सुनारियां वर्ष 17-03- 2010 में नगर निगम में शामिल हो गया था। 5 नगर निगम में यह गांव शामिल हो जाने के कारण नगर निगम द्वारा दिनांक 21-08-2014 को इनमें से 104 प्लाटधारकों की रजिस्ट्रीयां करवा दी गई हैं। केवल 3 प्लाट धारक गैर हाजिर होने के कारण इनकी रजिस्ट्रीयां बकाया है। जब यह हाजिर आयेंगे तब इनकी भी रजिस्ट्रीयां करवा दी जायेंगी। 6 मौके पर प्लाटधारकों को प्लाटो का कब्जा अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि प्लाटो वाली जगह पर रेत के ऊंचे नीचे टिब्बे व छोटी-2 कीकर खड़ी है। 7 इस बारे सदन की दिनांक 14-11-2014 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंता द्वारा इस जगह को समतल करने उपरांत प्लाटो का कब्जा दे दिया जाए। कार्यकारी अभियन्ता द्वारा जगह समतल करने का कार्य किया जा रहा है।	

		8 दिनांक 09.12.2014 पत्र क्रमांक MCR/LO/2014/1025 व दिनांक 20.03.2015 पत्र क्रमांक MCR/LO/2014/176 द्वारा कार्यकारी अभियंता को इस बारे कार्रवाई करने के लिए लिखा जा चुका है। 9 कार्यकारी अभियंता द्वारा इस जगह को समतल करने उपरांत 15 दिन में प्लाट धारकों को कब्जा दे दिया जायेगा। **गॉव बलियाणा :-** 1 उपायुक्त महोदय द्वारा की गई उच्च अधिकारियों की गठित कमेटी द्वारा वर्ष 2008 में बी0पी0एल0 परिवारो को प्लाट अलाट करने की सर्वे सूचि फाइनल की गई थी। 2 उपायुक्त कार्यालय द्वारा फाइनल की गई सर्वे सूचि दिनांक 14-08-2012 को प्लाट अलाट करने के लिए नगर निगम को भेजी गई। 3 नगर निगम द्वारा गाँव बलियाणा में महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 205 पात्र व्यक्तियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिनांक 31-12-2012 को अलाट किए गए। 4 इनमें से 178 प्लाट धारकों की रजिस्ट्रीयां दिनांक 30-06-14 हो चुकी है बाकी 27 प्लाट धारकों की रजिस्ट्रीयां बकाया है। 5 कब्जा कार्रवाई करने से पहले वार्ड न0 8 के पार्षद महोदय द्वारा इन प्लाटो बारे सदन की दिनांक 14-11-2014 को हुई मीटिंग में एतराज किया था। 6 उनके एतराज के मध्यनजर इन प्लाटो की जांच अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से करवाने का प्रस्ताव सदन की मीटिंग में दिनांक 14-11-2014 को पास किया गया। 7 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCR/LO/2014/981 दिनांक 26.11.2014 को गांव बलियाणा में अलाट किये गए 100 वर्ग गज के प्लाटो की पुनः जांच हेतू अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक	

		को लिखा गया। 8 इन अलाट किए गए प्लाटो की जांच पार्षद महोदय की उपस्थिति में की गई। अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक से दिनांक 15-01-2015 को प्राप्त जांच रिपोर्टानुसार अलाट किए गए प्लाट ठीक पाए गए। इस लिए इन प्लाटो का कब्जा प्लाटधारको को देने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	
4	पूरे रोहतक शहर में बंदरों की संख्या काफी बढ गयी है। जिससे जनसाधारण को बहुत परेशानी होती है। इसलिये बंदरों को पकड़ने का प्रबंध तुरंत प्रभाव से किया जाये।	इस सन्दर्भ में बन्दर पकड़ने का ठेका श्री मोहम्मदीन मथुरा, उत्तर प्रदेश को दिया हुआ है। नगर निगम द्वारा अति0प्र0मु0व0सं0(वन्य प्राणी एवमं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा, पंचकुला से 2000 बन्दर पकड़ने की अनुमति ली हुई है। अब तक ठेकेदार द्वारा 565 बन्दर पकड़े गये है। अधिक सर्दी होने कारण ठेकेदार ने बन्दर पकड़ने का कार्य बन्द कर दिया था। मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा पत्र कमांक 3271/एच.बी. दिनांक 12.02.2015, स्मरण पत्र 3420 दिनांक 09.03.2015 को लिखे गये तथा अब पत्र कमांक 3607/एच.बी. दिनांक 21.03.2015 को पत्र लिखा गया तथा दूरभाष पर भी बात की गई। ठेकेदार ने दिनांक 25.03.2015 को कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, रोहतक में प्रस्तुत होकर बन्दर ना पकड़ने बारे लिखित में अपनी व्यक्तिगत असमर्थता जताई है तथा दिनांक 10.04.2015 से बन्दर पकड़ने का कार्य शुरू करने बारे कहा है।	सम्बन्धित पार्षद की मांग पर बन्दर पकडे जाने बारे कार्रवाई की जानी स्वीकार है।
5	a. शहर के सभी चौराहो पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाये।	a. माननीय आयुक्त एवं उपायुक्त, रोहतक द्वारा शहर में C.C. TV Camera लगवानें के लिए अतिरिक्त उपायुक्त महोद्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी द्वारा शहर में मुख्य स्थानों परC.C. TV Camera लगानें के लिए 23 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर C.C. TV Camera लगानें के लिए दिनांक 02.12. 2014 को टैण्डर मांगें गए थे। जिनमें Technical Bidखोलनें उपरांत दो फर्मों के दस्तावेज पूर्ण पाए गए। जिसके उपरांत	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

	b. शहर की सभी मैन सड़को व बाजारो मे अतिक्रमण हटवाया जाये। मुख्यतः जनता कालोनी, पुलिस चौकी से इन्द्रा कालोनी तक (वार्ड नं0 1) किला रोड़, भिवानी स्टैड, छोटू राम चौक इत्यादि और c. जहॉ कच्ची जगह है वहॉ पर इंटर लोकिंग टाईलें लगवायी जाये मुख्यतः जनता कलोनी।	दिनांक 14.01.2015 को Demo देनें के लिए दोनों फर्मों को बुलाया गया। जिनमें से उस दिन सिर्फ एक ही फर्म नें राजिव चौंक पर Demo दिया। इसके उपरांत कमेटी अध्यक्ष एवं अतिरिक्त, उपायुक्त महोद्य द्वारा पुनः फर्मों को Demo देनें के लिए बुलानें के आदेश दिए गए। दोनों एजेंसियों के Demo देखनें उपरांत कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि दोनों एजेंसियों के टैण्डर खोल लिए जाएं। जो कि दिनांक 17.03.2015 को खोले गए। जिनकी तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कर दी गई है जो कि गठित कमेटी के सम्मुख दिनांक 27.03.2015 को प्रस्तुत करनी है।निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। b. **भू–अधिकारीः**–अस्थाई अतिक्रमण हटवाने के लिए पुलिस बल की सहायता से शहर के मुख्य बाजारों एवं सड़को से हटवाया जाता है। यह कार्रवाई सप्ताह में एक या दो बार जब भी पुलिस बल उपलब्ध होने पर नगर निगम की टीम व पुलिस बल दोनों के संयुक्त अभियान से अतिक्रमण हटवाया जाता है। c. इस सन्दर्भ में डिप्टी मेयर एवं पार्षद वार्ड नं0 16 द्वारा दिखाई गई गलियों का मौके के अनुसार मु0 6.62 लाख रुपये का अनुमान तैयार कर दिया गया है।वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है।	
7	पूरे रोहतक शहर में सब डिविजन के नक्शे पास करवाने में काफी परेशानी हो रही है। सदन ने इस बारे एजेंडा पास किया भी था जिसके अनुसार नक्शे पास किये भी गये थे लेकिन अब अधिकारी ऐसा करने से इन्कार कर रहे है। इसलिये सदन को अवगत कराया जाये कि पहले प्रशासन ने नक्शे किस स्कीम अनुसार पास किये थे और अगर ये सरकार के अधिकार क्षेत्र का	**A.T.P.** In the past MCR had sanctioned the Building Plans for sub divided plots either they are situated in regularized Residential colonies or in approved TP/Rehabilitation Schemes etc but it is not permissible under Bye Laws no. 13(3) (a) of Haryana Municipal Building Bye Laws 1982	मामले में आमजन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार से नियमो में ढील देने बारे अनुरोध करने हेतू निर्णय लिया गया तथा Haryana Urban Act,1975 के एक्ट नं0–8 की धारा 7(i) में जारी हिदायतों अनुसार सरकार से मार्गदर्शन लिया जाये कि 2004 व 2013 में नियमित की गई कालोनियों के प्लाटों का विभाजन करने बारे सरकार से मार्गदर्शन व सहमति प्राप्त करने बारे भवन शाखा पूर्ण कार्रवाई कर जनहित में यह कार्य पूर्ण

	ऐजेंडा है तो सरकार अतिशीघ्र प्रभाव से सम्पर्क करके इस परेशानी को दूर करे।	and the provisions of said Bye Laws are as under: "***division of plot into smaller units is not permissible without obtaining prior approval of the Committee. In the event of division, the resultant plots shall not in any case be less than 85 sq. mtr. in area. However in case of projects under the slum clearance schemes or housing for Economic Weaker Section of Society undertaken by the Govt., Local Authority, Improvement Trust or any other semi public agency, the minimum plot area shall not be less than 50 sq. mtr.*** In year 2004, Govt. vide letter no. **CTP/A-III/2004/50068-86 dated 17/12/2004** regularized 70 unauthorized colonies situated within MCR limits with the condition that the building plans will be sanctioned as per provisions of Haryana Municipal Building Bye Laws- 1982 and informed all the Municipalities in the State that the above unauthorized colonies regularized by the Govt. shall also be considered as **regularized under the Act No. 8 of 1975 and Act No. 41 of 1963 and Haryana Municipal Act, 1973.** In the Year 2013, Govt. vide Notification dated 04.10.2013 declared 34 unauthorized colonies situated within MCR limits as Civic	करवाएगी। यह सारी कार्रवाई सहायक नगर योजनाकार 15 दिन के अन्दर करवाना सुनिश्चित करेंगे।

		Amenities & Infrastructure Deficient Municipal Areas where as per Govt. directions MCR had already sanction the building plans. There are 12 approved Town Planning Schemes and four approved Rehabilitation Schemes. Apart from the above DULB office vide **memo no. DGULB/CTP/A-3/2012/31550 dated 22.08.2012** in the case of Municipal Corporation, Karnal conveyed that MC cannot sanction the building plans for the sub-divided plots in the following conditions: i. When the sub-division has occurred in violation of section – 7 (i) of Act No. 8 of 1975 which means that the sub-divided plot is a part of unauthorized colony. ii. When the plot of an approved scheme viz Town Planning Scheme, Rehabilitation Scheme etc. has been sub-divided from its original shape & size. However, the Govt. was further intimated that the Municipal Corporation can consider the building plans for approval in accordance with the Building Bye-Laws within the original Municipal limits when the sub-division of the plot has occurred due to family partition except in the planned schemes and the provisions of Act No. 8 of 1975 have not been violated.	

		Govt. also vide memo no. CTP/A-II/ 2002/ 53423 dated 28.10.2002 intimated that building plans of sub-division taken place before 1975 and sub division as a result of family partition are permissible. However the resolution dated 09.06.2014 is not clear and against the provisions of Building Bye Laws and this said proposal was required to be sent to the Govt. for consideration and approval which was not done. Although only family sub-divisions are permissible in regularized colonies and old Abadi area (excluding Town Planning & Rehabilitation Schemes) and the building plans of family sub-divisions of plots situated in these areas are still sanctioned by the Corporation yet this office will shortly sent a proposal to the Govt. for seeking advice in the matter. (Detail of sanctioned building plans of sub-divided plots after the resolution is yet to be workout). This office has followed the provisions under the existing Building Bye-Laws and instructions conveyed by the Govt. from time to time.	
8	नगर निगम रोहतक में लगभग 5 करोड़ ग्रांट गत महीने आयी है। उसमें से ठेकेदारों की पेमेंट के बाद बची हुई ग्रांट को वार्ड–वाईज समान रुप से विकास कार्यो में लगाया जाये।	a. नगर परिषद के समय (17.03.2010 से पूर्व) हुए कुल 94 कार्यों की पुरानी पेमेंट की 93 लाख रूपये बकाया है जिसके लिए अधीक्षक अभियन्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है। इस कमेटी द्वारा 52कार्यों की फाइल जिनकी राशी लगभग 63 लाख रूपए बनती है बारे निर्णय लेकर सम्बन्धित अधिकारी को भेजा जा	a. वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा सदन को सूचना दी गई कि सरकार से 5 करोड का अनुदान पिछले मास प्राप्त हुआ है तथा 2 करोड की राशी के फंडस अलाट किये गये है। इस प्रकार इस राशी में से 2. 50 करोड रूपये की राशी के चालू विकास कार्यो (ongoing works) की अदायगी के लिए खर्च की जाये तथा शेष राशी सदन के निर्णय अनुसार खर्च

		चुका है और बाकी 42 कार्यों की फाइल जिनकी राशी लगभग 30 लाख रूपए है इस सम्बन्ध में अधीक्षक अभियन्ता नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके कार्यकारी अभियन्ता–1, 2 व 3, नगर निगम रोहतक, कार्यकारी अभियन्ता लोकनिर्माण विभाग रोहतक एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी नगर निगम रोहतक सदस्य है। कमेटी द्वार जॉच पड़ताल की जा रही है । निर्णय उपरांत सभी 94 कार्यों की अदायगी हेतु कार्रवाई करके दिनांक 30.04.2015 तक निर्णय ले लिया जायेगा। b. नगर निगम के समय में जो कार्य वर्ष 2014 में माननीय आयुक्त, नगर निगम रोहतक द्वारा Out of MC Fund Subject to receipt of any other grant स्वीकृत किये गये थे। उंनका विवरण निम्न प्रकार से है:– 1. No. of Works Completed - 17 2. Payment of completed Works - 199.17 Lacs 3. No. of Ongoing Works -3 4. Amount of Ongoing works - 108.59 Lacs यह तीनों कार्य 31.05.2015 तक पूर्ण करवा दिये जायेगें।	की जाये। b. मामले मे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2.5 करोड रूपये की राशी वर्तमान में चल रहे विकास कार्यो पर खर्च की जाये तथा 4 करोड रूपये की राशी प्रत्येक वार्ड मे बराबर बांट कर संबधित पार्षद से उस वार्ड मे करवाए जाने वाले विकास कार्यो की वरियता सूचि प्राप्त करने उपरांत खर्च किया जाना स्वीकार है।
9	सभी वार्डो में अनुमान स्वीकृत करवाकर विकास कार्य किये जाते है। किंतु कार्य करते समय वहॉ की जनता की सुविधा को देखते हुये और उनकी व वहॉ के संबंधित पार्षद की मांग के अनुसार कुछ तबदीलियॉ स्वीकृत अनुमान में की जानी अति आवश्यक होती है। इसलिये इन स्थितियों में ऑडिट करवाने में परेशानी होती है। इसलिये इन स्थितियों को सुलझाने के लिये सदन स्वीकृति दे।	हरियाणा म्यूनिसिपल वर्क्स रूल 1976 के रूल–7, पैरा–8 के अनुसार यदि कार्य पूर्ण करने की राशि रेट या अन्य कारणो से प्रशासकीय स्वीकृति से 10% से ज्यादा बढ जाए तो उसकी संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति तकनीकी शाखा द्वारा सक्षम अधिकारी से ली जाएगी इसके अलावा अगर मूल अनुमान में संशोधन किया जाता है चाहे उसकी राशी पुरानी प्रशासकीय स्वीकृति से ना भी बढ़े तो भी उसकी संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति तकनीकी शाखा द्वारा सक्षम अधिकारी से ली जाएगी।	स्वीकार है। वकर्स कमेटी, कार्यकारी अभियंता, तथा संबधित वार्ड पार्षद द्वारा बैठक कर निर्णय लिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी वार्ड में करवाए गए विकास कार्य में यदि राशि शेष बचती है तो यह राशी सम्बन्धित वार्ड पार्षद द्वारा दी गई सलाहनुसार उसी वार्ड के विकास कार्यों में खर्च की जानी स्वीकार है।
10	a. नगर निगम रोहतक के वार्ड नं0 6 के ताऊ नगर, हरकीदेवी कालोनी, विशाल नगर मे सीवर और राम गोपाल कालोनी, बसंत विहार, जसबीर कालोनी में सीवर व पानी का प्रबंध अति शीघ्र करवाया जाये।	a. सीवर व पीनें के पानी की व्यवस्था करनें का कार्य जन–स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है।	a. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे।

	b. इंद्रप्रस्थ कालोनी के पार्क में झूले लगवाए जाए। c. इन्द्रप्रस्थ कालोनी के पार्क में लाईटें लगवायी जाये।	b. पार्क में झूले लगाने का अनुमान मु0 65000 रुपये का बना है। ।वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है। c. इन्द्रप्रस्थ कालोनी के पार्क मे लाईट लगवाने का टैण्डर दिनांक 25.07.2014 को मांगा गया था लेकिन कोई भी टैण्डर फार्म प्राप्त नहीं हुआ था। अब पुनः ई–टैण्डर द्वारा अन्य कार्यो के साथ सात दिन के अन्दर टैण्डर लगा दिया जाएगा।	b. पार्क में झूले लगाने का कार्य संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है। c. पार्क में लाईटें लगाने का कार्य संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है।
11	a. वार्ड नं0 13 में सदन की पहली बैठक से लेकर आज तक एक पार्क बनवाने की मांग की गयी है लेकिन अभी तक कोई कार्य नही किया गया ।इसलिये निगम के द्वारा निर्धारित की गयी जगह पर जल्दी पार्क बनवाने का कार्य किया जाये। b. निगम के कार्यकरी अभियंता द्वारा कुछ जरुरी कार्यो की सूची पार्षदों से ली गयी थी उन्ही विकास कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर जल्दी करवाया जाये। c. सुखपूरा, लाढोत रोड पर सीवर लाईन तथा हैफेड रोड पर पानी की लाईन डलवायी जाये।	a. पार्क की चारदीवारी निर्माण हेतु 20.60 लाख रुपये का अनुमान तैयारकर दिया गया है ।वरियता सूची में वितीय उपलब्धता अनुसार कार्यवाही कीजानी है। b. पार्षदों से प्राप्त विकास कार्यों की सूची की प्राथमिकता सदनके निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है। c. यह बिन्दु जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक से सम्बन्धित है।	a. पार्क की चारदीवारी निर्माण हेतु 20.60 लाख रुपये का अनुमान स्वीकार है। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है। b. प्रस्ताव कमांक 8(b) में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाई c. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे।
12	a. वार्ड नं0 16 में रिंग बांध पर बरसात का पानी घरों में घुसने से बचाने के लिये दोनो तरफ नाला बनवाया जाये। b. राजेंद्रा कालोनी में बिजली के खंभे लगवाये जाये।	a. प्रस्तावित नाले के निर्माण के लिए 13.66 लाख रुपये का अनुमान तैयार कर दिया गया है। b. राजेंद्रा कॉलोनी में बिजली के खम्बे HVPNविभाग द्वारा लगाये जाएगे	a. प्रस्तावित नाले के निर्माण के लिए 13.66 लाख रूपये का अनुमान स्वीकार है। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है। b. कार्यकारी अभियंता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा बताया गया कि राजेन्द्रा कालोनी में लगाये जाने वाले खंभें नगर निगम द्वारा

			राशी जमा करवाये जाने के बाद की लगाये जा सकतें है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि संबधित पार्षद इस कार्य को प्राथमिकता देना चाहें तो उनके वार्ड के लिए आवंटित की जाने वाली राशी में से यह कार्य करवाये जा सकते है।
	c. न्यू जनता कालोनी में सीवर की लाईन डलवायी जाये।	c. सीवर लाइन जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा डलवाई जानी हैं।	c. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे।
	d. अलक नंदा कालोनी में एक पार्क व एक कम्युनिटी सेंटर बनवया जाये ताकि वहॉ की जनता को सुविधा पहुँचायी जा सके।	d. अलक नंदा कॉलोनी में पार्क, कम्युनिटी सेंटर व टूटी हुई गलियों के अनुमानतैयार करने हेतु सम्बन्धित पार्षद महोदय सेव्यक्तिगत संपर्क किया गया। अभी तक मौका नही दिखाया गया है। मौका देखने उपरांत आवश्कतानुसार अनुमान दिनांक 30.04. 2015 तक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर दिये जायेगें।	d. संबधित पार्षद इस कालोनी का निरीक्षण कार्यकारी अभियंता के साथ करने उपरांत अनुमान आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
	e. वार्ड में कुछ गलियॉ टूटी हुई है उन्हें दोबारा बनवाया जाये जिनके नामों की सूची नोडल अधिकारी को दी गयी है।	e. वार्ड नं0 16 से 20 तक विभिन्न स्थानों पर गलियों आदि की मरम्मत के लिए 4. 98 लाख रू0 का अनुमान का टैण्डर दिनांक 16.04.2015 को खोला जाना है।	e. वार्ड नं0 16 से 20 तक विभिन्न स्थानों पर गलियों आदि की मरम्मत के लिए 4.98 लाख रू0 का अनुमान स्वीकार है तथा निर्णय लिया गया कि मामले में आगामी कार्रवाई कार्यकारी अभियंता द्वारा की जायेगी।
	f. भिवानी चौक पर हाई मास्क लाईट पास हुई थी जिसका फाऊॅडेशन तैयार है परंतु किसी कारणवश नही लग पा रही है। उसे जल्दी से जल्दी लगवाया जाये।	f. भिवानी चौक पर हाई मास्क पार्षद द्वारा चिन्हित स्थान पर फाउंडेशन तैयार करवा दिया था परन्तु दूकानदार जिसकी दुकान के सामने फाउंडेशन कर कार्य करवाया गया था उस द्वारा हाई मास्क लाइट वहां लगाने पर आपत्ति जताई गई जिसके कारण यह कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। अतः पार्षद महोदय से अनुरोध है कि वहां के लोगों से बातचीत करते हुए चिन्हित स्थान पर लाइट लगवाने बारे फैसला लेने का कष्ट करें ताकि कार्य को पूर्ण किया जा सके।	f. आगामी बैठक में रखने के लिए लम्बित।
13	a. वार्ड नं0 19 में बिजली के खंभे व	a. बिजली के खम्बे UHVPN विभाग द्वारा लगाये	a. कार्यकारी अभियंता हरियाणा विघुत प्रसारण निगम द्वारा बताया गया कि राजेन्द्रा कालोनी

	केबल तार लगवायी जाये। b. कुछ कालोनियों में सीवर की लाईन टूटी हुयी है वहॉं नयी लाईन डलवायी जाये। c. न्यू विजय नगर व शीतल नगर में दो गलियों में अगस्त महीने में टेंडर हुये थें लेकिन वह कार्य काफी समय से रुका हुआ है। ठेकेदार से संपर्क कर इस कार्य का जल्द से जल्द करवाया जाये। d. कमला नगर में नाले के ऊपर ढक्कन लगवाया जाये।	जाएगे। b. सीवर लाइन जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा डलवाई जानी हैं। c. न्यू विजय नगर में 46.22 लाख रुपये व शीतल नगर कॉलोनी में 47.33 लाख रूपए के अनुमान Municipal Fund further subject to receipt of any other Grant स्वीकृत करके अलॉट किये गए थे। फंड्स की उपलब्धता अनुसार इनमें से न्यू विजय नगर में चार गलियों के निर्माण हेतु 22.00 लाख रुपये की राशि 20-03-2015 को स्वीकृति की गई है कार्य मौके पर आरम्भ करवा दिया गया है। शीतल नगर का कार्य अभी फंड्स उपलब्ध ना होने के कारण कार्य नहीं करवाया जा सकता। d. कमला नगर में नाले के ऊपर आर.सी.सी. स्लैब लगाने के लिए 6.68 लाख रुपये का अनुमान तैयार कर दिया है। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है।	में लगाये जाने वाले खंभें नगर निगम द्वारा राशी जमा करवाये जाने के बाद की लगाये जा सकतें है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि संबधित पार्षद इस कार्य को प्राथमिकता देना चाहें तो उनके वार्ड के लिए आवंटित की जाने वाली राशी में से यह कार्य करवाये जा सकते है। b. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे। c. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यू विजय नगर में 46.22 लाख रूपये का कार्य करवाया जाना स्वीकार है। d. कमला नगर में नाले के ऊपर आर.सी.सी. स्लैब लगाने के लिए 6.68 लाख रुपये का अनुमान स्वीकार है। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है।
14	पूरे रोहतक शहर में सीवरों की सफाई न होने की परेशानी रहती है। इसलिये जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये जाये कि सीवरों की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाये।	जनस्वाथ्य विभाग से सम्बन्धित है। इस बारे विभाग को सूचित कर दिया गया है।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे।
15	हनुमान कालोनी में स्वर्गधाम आश्रम है जिससे वहॉं के निवासियों को बहुत सुविधा	हनुमान कालोनी वार्ड नं0 4 में पडती है। वार्ड नं0 4 की पार्षद एवं माननीया मेयर द्वारा मौके पर जो	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन गलियों मे सीवर व्यवस्था नही है इसलिए इन गलियों को

	मिल रही है। लेकिन वहाँ की गली कच्ची पड़ी है इसलिये वहाँ की गलियों में इन्टरलोकिंग टाईलें लगवायी जाये।	गली दिखाई गई है जिसका निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र ASI विभाग से प्राप्त हो चुका है परन्तु सीवर की व्यवस्था ना होने के कारण सरकार की हिदायतानुसार गली का निर्माण नहीं करवाया जा सकता। सीवर व्यवस्था होने उपरान्त जो कि जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जानी है। गली निर्माण की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	पक्का नही किया जा सकता।
16	a. वार्ड नं0 20 की अमृत कालोनी, कुंज विहार, अजीत कालोनी, श्रीराम नगर, गौकल कालोनी की सारी गलियॉं कच्ची पड़ी है। इन्हें जल्दी पक्का करवाया जाये। b. सुनारिया कलॉं व खुर्द में पानी की लाईन टूटी हुई है। यहॉं नयी पानी की लाईन डलावायी जाये। c. खुले नालों पर ढक्कन लगवाये जाये। d. काफी समय से स्थगित चल रहे स्टेडियम के काम को जल्दी पूरा करवाया जाया। e. सुनारिया कलॉं में स्कूल की दीवार टूटी हुई है इसलिये कुछ असामाजिक तत्व व आवारा पशु स्कूल के अन्दर घूस जाते है इसलिये इस दिवार को दोबारा	a. वार्ड न॰20 में अमृत कॉलोनी, कुञ्ज विहार, अजित कॉलोनी, श्री राम नगर, गोकल कॉलोनी वर्ष 2013 में विकास हेतु स्वीकृत की गई हैं। इन कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने हेतु 18.12 + 133.61 + 24.06 + 94.15 + 84.91 + 22.84 = 377.69 लाख रुपये के अनुमान तैयार करवाए जा चुके हैं। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है॥ b. सुनारिया कलां व खुर्द में पानी की पाइप लाइन डालने का कार्य जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाया जाना है। c. खुले नाले लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित हैं। इन पर ढक्कन लगाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाना है। d. स्टेडियम निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का मौका मेयर, संयुक्त आयुक्त एवं कार्यकारी अभियंता द्वारा दिनांक 10-03-2015 को देखा गया था। मौके अनुसार प्रस्तावित स्थल स्टेडियम के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया e. सुनारिया कलां में स्कूल की टूटी हुई दीवार का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा करवाया जाना है।	a. वार्ड न॰20 में अमृत कॉलोनी, कुञ्ज विहार, अजित कॉलोनी, श्री राम नगर, गोकल कॉलोनी वर्ष 2013 में विकास हेतु स्वीकृत की गई हैं। इन कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने हेतु 18.12 + 133.61 + 24.06 + 94.15 + 84.91 + 22.84 = 377.69 लाख रुपये के अनुमान स्वीकार है। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है। b. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे। c. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन व सडके) विभाग द्वारा करवाया जाना है। इसके के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे। d. इस बारे सर्वसम्मति से अधीक्षक अभियंता की अध्यक्षता मे निम्नलिखित की कमेटी बनाई गई:– 1. कार्यकारी अभियंता– संयोजक 2. वकर्स कमेंटी। 3. सम्बधित वार्ड पार्षद। e. सुनारिया कलां में स्कूल की टूटी हुई दीवार कर कार्य शिक्षा विभाग द्वारा करवाया जाना है, इसके के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे।

	बनवाने के लिये शिक्षा विभाग को निर्देश दिये जाये।		
17	a. वार्ड नं0 3 धानक स्कूल की रिपेयर के लिये शिक्षा विभाग को निर्देश दिये जाये। b. कबीर कालोनी में लगभग 25 बिजली के खंभे। c. हरिजन धर्मशाला की मरम्मत करवायी जाये। d. वार्ड की कुछ गलियों में पानी की व्यवस्था न होने से आम जनता को काफी परेशानी होती हैं इसलिये वहाँ तुरंत प्रभाव से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाये। e. वार्ड की कुछ गलियाँ अभी कच्ची है उन्हें पक्का करवाया जाये जिनके नामों की सूची नोडल अधिकारी को सोंपी है।	a. स्कूल की रिपेयर का कार्य शिक्षा विभाग से सम्बंधित है। b. कबीर कालोनी में खम्बें लगानें का कार्य UHBVN से सम्बंधित है। c. हरिजन चौपाल का कार्य अधूरा पडा है। पूर्ण करनें के लिए अनुमान तैयार कर दिया गया है जो कि मु0 15.00 लाख रुपये का बना है। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है। d. पानी से सम्बंधित कार्य जन–स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है। e. i) माता दरवाजा से चमारियां रोड तक फिलहाल सडक ठीक है। कुछ रिपेयर की जरूरत है जो कि रिपेयर कार्य के अनुमान में शामिल कर ली गई है। ii) सांसी चौक से रैनकपुरा रोड का रिपेयर व नाली निर्माण का अनुमान तैयार कर दिया गया है जो कि मु0 25.84 लाख रुपये का बना है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी थी परन्तु वित्तीय कारणों से टैण्डर लगाने पर रोक लगा दी गई	a. स्कूल की रिपेयर का कार्य शिक्षा विभाग से सम्बंधित है। इसके के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे। b. कार्यकारी अभियंता हरियाणा विघुत प्रसारण निगम द्वारा बताया गया कि कबीर कालोनी में लगाये जाने वाले खंभें नगर निगम द्वारा राशी जमा करवाये जाने के बाद की लगाये जा सकतें है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि संबधित पार्षद इस कार्य को प्राथमिकता देना चाहें तो उनके वार्ड के लिए आवंटित की जाने वाली राशी में से यह कार्य करवाये जा सकते है। c. हरिजन चौपाल का कार्य अधूरा पडा है। पूर्ण करनें के लिए अनुमान तैयार कर दिया गया है जो कि मु0 15.00 लाख रुपये स्वीकार है। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है। d. पानी से सम्बंधित कार्य जन–स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है। इसके के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे। e. i) स्वीकार है। ii) सांसी चौक से रैनकपुरा रोड का रिपेयर व नाली निर्माण का अनुमान तैयार कर दिया गया है जो कि मु0 25.84 लाख रुपये स्वीकार है। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है।

		थी। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जाएगी। iii) कबीर कालोनी की गलियां जिनकी NOC ASI विभाग से प्राप्त हुई थी, का निर्माण करवा दिया गया है। iv) रैनकपुरा गांव को जाने वाले मैन रास्ते में सीवर व पानी की व्यवस्था न होने की वजह से सडक का निर्माण नहीं करवाया जा सकता। नाली के निर्माण का कार्य गन्दे पानी की निकासी हेतु प्रगति पर है। ब्रांच गलियों की NOC ASI विभाग से नहीं प्राप्त हुई है। बिना NOC के निर्माण नहीं करवाया जा सकता। v) नेहरू कालोनी के बाहिए क्षेत्र में जो दो गलियों का निर्माण करने हेतु अनुमान तैयार कर दिया गया है जो कि मु0 13.30 लाख रुपये का बना है। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।	 iii) कोई कार्रवाई नही की जानी। iv) ASI विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हाने उपरांत ही कार्रवाई की जानी संभव है। v) नेहरू कालोनी में बनाई जाने वाली गलियो के निर्माण बारे निर्णय लिया गया कि यदि यह गलियां अधिकृत क्षेत्र में पडती हो तो संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है।
18	वार्ड नं0 1 में सूर्य नगर में नगर निगम की पड़ी हुई जमीन से अवैध कब्जे हटवाकर वहॉ सीवर का बुस्टिंग स्टेशन बनवाया जाये।	*भू–अधिकारी:–* 1. दिनांक 20.03.2015 को पत्र क्रमांक MCR/LO/2015/234 के द्वारा मेयर महोद्या से यह जानकारी मांगी गई है कि उक्त भूमि सूर्या नगर में कहा पर स्थित है। 2. इस सन्दर्भ में वार्ड न0 1 के पार्षद महोदय से भी दूरभाष पर बात की गई। उन्होंने बताया कि यह भूमि सिंहपुरा रोड पर सूर्य नगर में स्थित है। यह भूमि शामलात है। 3. इस भूमि बारे राजस्व विभाग से सम्पर्क करके भूमि के सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन करने उपरांत सदन की आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भू–अधिकारी इस भूमि बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
19	a. वार्ड नं0 2 में सीवर की ब्लॉकेज को रोकने के लिये गढी मोहल्ले में	a. नाला बनानें का कार्य जन–स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है। पानी निकासी का	a. नाला बनानें का कार्य जन–स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है। इसके के लिए नोडल आफिसर

	नाला बनवाया जाये। b. लगभग वार्ड की बीस गलियों में सीवर व पानी की व्यवस्था हो चूकी है उन गलियों को पक्का करवाया जायें। c. शास्त्री नगर में नगर निगम की जगह कम होने के कारण पी.एच.सी. नही बनायी गयी थी अब उस जगह पर एक सब स्टेशन बनाया जाये जिसके लिये सिर्फ दो कमरों की जरुरत है जहॉ ए.एन.एम. व जी.एन.एम अपना कार्य कर सकेगी। d. गढी मोहल्ले के सामुदायिक केंद्र की हालत बहुत खस्ता है। इसलिये उसे तोड़कर उस जगह पर एक आंगड़वाडी केंद्र व सामुदायिक केंद्र बनवाया जाये। e. शास्त्री नगर में पीने के पानी की व्यवस्था अति शीघ्र करवायी जाये।	समाधान करने हेतु जन स्वास्थ्य विभाग मे मु0 25.00 लाख रुपये की राशि जमा करवा दी गई थी। b. वार्ड की जिन गलियों को पक्का करना है उनकी सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सम्पर्क करने पर सम्बन्धित पार्षद शहर से बाहर होने के कारण इन गलियों की सूची नहीं ली जा सकी। c. सब स्टेशन बनानें का कार्य स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है। d. गढी मौहल्ले के सामुदायिक केन्द्र की जगह आंगनबाडी केन्द्र का नवीनीकरण करने का अनुमान मु0 20.02 लाख रुपये तैयार कर दिया गया है। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है। e. पीनें के पानी की व्यवस्था करनें का कार्य जन–स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है।	अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे। b. संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है। c. सब स्टेशन बनानें का कार्य स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है। इसके के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे। d. गढी मौहल्ले के सामुदायिक केन्द्र की जगह आंगनबाडी केन्द्र का नवीनीकरण करने का अनुमान मु0 20.02 लाख रुपये स्वीकार है। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है। e. पीनें के पानी की व्यवस्था करनें का कार्य जन–स्वास्थय विभाग से सम्बंधित है। इसके के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे।
20	वार्ड नं0 14 में काफी समय से विकास कार्य अधुरे पड़े है । उन्हें तुरंत प्रभाव से शुरु करवाया जाये।	वार्ड न॰ 14 में पार्षद महोदय द्वारा कुल 4 कार्यों की सूची प्रदान की है जिनका कुल अनुमान 48.91 लाख रुपये हैं। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है।	वार्ड नं0 14 में पार्षद द्वारा कुल 4 कार्यो की सूची प्रदान की गई है जिसका कुल अनुमान 48.91 लाख है। स्वीकार है। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है।
21	a. वार्ड नं0 12 में आर्य नगर में चौपाल का कार्य काफी समय से रुका हुआ है। इसे जल्द पूरा करवाया जाये।	a. वार्ड पार्षद द्वारा बताई गई चौपाल (जो कि पूर्व मन्त्री श्री चॉद राम जी के निवास स्थान के पीछे स्थित है) का निरीक्षण कर लिया गया है। इस चौपाल पर लगे	a. इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को शीघ्र कार्य करवाने के निर्देश दिये गये।

	b. वार्ड के सभी पार्को की सफेदी व सौदर्यकरण करवाया जायें। c. वार्ड की कुछ गलियॉ टूटी हुई है उन्हे दोबारा बनवाया जाये, उनके नामों की सूची नोडल अधिकारी को दी गयी है। d. ग्रीन रोड की ऐंट्री पर रेंप टूटा हुआ है उसे दोबारा बनवाया जाये।	उद्घाटन पत्थर के अनुसार इसका उद्घाटन 2006 में सिलाई केन्द्र के नाम से किया गया है। वार्ड पार्षद एवं आस–पास के निवासियों की जरूरत अनुसार इसकी मुरम्मत एवं रंग–रोगन का अनुमान तैयार किया जा रहा है। b. वार्ड न० 12 में 5 पार्क (नेताजी पार्क , केशव पार्क, आर्य नगर पार्क, शिवम् एन्क्लेव पार्क, भगवान महावीर पार्क) आते हैं जिनमें से पहले दो का renovation लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है जबकि बाकी बचे तीन पार्कों का कार्य नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर किया जा रहा है। पाँचों पार्कों की स्थिति संतोषजनक है। c. पार्षद महोदय द्वारा कुल 6 कार्य जिनका कुल अनुमान 28.45 लाख रुपये की सूची दी है। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है। d. इस सन्दर्भ में वार्ड नं0 11 से 15 तक विभिन्न स्थानों पर मुरम्मत के लिए 4.92 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत करवाकर दिनांक 17.04.2015 को टैण्डर मांगे गए है। इसी में अन्य मुरम्मत कार्यों के साथ ग्रीन रोड एंट्री का रैंप की मुरम्मत करवा दीजायेगी	b. इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को शीघ्र कार्य करवाने के निर्देश दिये गये। c. इस बारे 28.45 लाख रूपये का अनुमान स्वीकार हैं। संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है। d. स्वीकार है।
22	नगर निगम रोहतक में जो भी अधिकारियों की बैठक होती है उनका समय चार बजे के बाद निर्धारित किया जाये। ताकि अधिकारी सूबह अपनी सीट पर बैठकर जनहित कार्य कर सके। जिससे जनता को सुविधा मिलेगी।	इस विषय में सदन में चर्चा प्रस्तावित है।	आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि किसी भी बैठक के लिए पूर्व निर्धारित समय व स्थल निश्चित किये जाने संभव नही है। अतः इस बारे कोई कार्रवाई नही की जानी।
23	वार्ड नं0 15 में एक चौपाल, एक कम्युनिटी सेंटर, कुछ गलियों की मरम्मत व कुछ सी. सी. रोड बनवाने के लिये एस्टीमेट तैयार किये गये थे जिनकी नामों की सूची नोडल अधिकारी को दी गयी है। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये।	वार्ड न० 15 में वार्ड पार्षद द्वारा कुल 13 कार्यों की सूची जिसका कुल अनुमान 319.00 लाख रुपये है। वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है।	संबधित पार्षद द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यो की सूची में वरियता के आधार पर कार्य करवाया जाना स्वीकार है।
24	a. वार्ड नं0 17 में देवी मंदिर से एम.	a. वार्ड न० 17 में देवी मंदिर से एम. एस. राठी के मकान	a. संबधित पार्षद द्वारा बताया गया कि सडक

	एस. राठी के मकान तक बरसाती पानी निकालने के लिये पाईप लाईन डाली गयी थी जो अब बिलकुल टूटी हुई है। उसकी मरम्मत करवायी जाये। b. टेक नगर में रेलवे ने गंदा पानी निकालने के लिये एक नाला बनवाया गया था जिसकी मिट्टी अभी भी वही पड़ी है और सड़क भी वहाँ की टूटी हुई है। इसलिये यह कार्य संबंधित विभाग को करने के निर्देश दिये जाये। नाले को और सीमेंट डालवाकर पक्का करवाया जाये।	तक बरसाती पानी की निकासी के लिए जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम के deposit वर्क के तौर पर किया गया था। जन-स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि इस सड़क के मरम्मत के लिए अनुमान में कोई provision नहीं था और ना ही कोई फण्ड उपलब्ध है। अतः अब नगर निगम द्वारा इस कार्य के लिए 13.07 लाख रुपये का तैयार किया गया है। वार्ड पार्षद की वरियता सूची की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जानी है। b. टेक नगर में गंदे पानी के निकासी के लिए हाल ही में जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य किया गया है।सीवर डालने के लिए तोडी गई सड़क की रिपेयर व मिटटी उठाने का कार्य जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाया जाना है।	की मुरम्मत का कार्य करवा दिया गया है। परन्तु इसकी गुणवत्ता ठीक नही है। कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये जाते है कि सडक की गुणवत्ता बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से पत्राचार कर सडक की गुणवत्ता को ठीक करवाएं। b. मामले मे कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य यात्रिकी मंडल द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त मिट्टी उठवाने का कार्य जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा करवा दिया जायेगा। जहां तक सडक बनाने का कार्य है, नगर निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करे।
25	a. पूराना सूगर मील चौक का नाम भगवान नामदेव रखा जाये। b. वार्ड नं0 3 में धानक स्कूल के सामने पड़ी जमीन का नाम संत कबीर जी किया जाये। जहाँ Primary Health Centre बनाने का प्रस्ताव है।	a. नगर निगम अधिनियम धारा 245 के तहत नगर निगम अपने अधीन सड़कों व भवनों के नामकरण कर सकता है। प्रस्तावित सड़क लोक निर्माण विभाग की है जो कि नगर निगम के अधीन नहीं है। इस पर कार्यवाही नगर निगम द्वारा अमल में नहीं लायी जा सकती। b. प्रस्तावित भूमि स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए स्थानांतरित की जा चुकी है। अतः इसका नामकरण भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाना है।	a. नगर निगम अधिनियम धारा 245 के तहत नगर निगम अपने अधीन सड़कों व भवनों के नामकरण कर सकता है इस चौक का नाम उपरोक्त धारा के तहत भगवान नामदेव चौक रखा जाता है। b. प्रस्तावित भूमि नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए स्थानांतरित की जा चुकी है। जब भी इस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जायेगा इसका नाम संत कबीर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रखा जाना स्वीकार है।
26	महाबीर पार्क में दिगंबर जैन सोसायटी द्वारा चलायी जा रही भगवान महावीर लाईब्रेरी के शिलान्यास पट्ट पर सभी पार्षदों का नाम	इस बारे दिगम्बर जैन सोसाइटी को शिलान्यास पट पर सभी पाषदो का नाम लिखवाने बारे लिखा जा चुका हैं। भू-शाखा द्वारा इस बारे दिगम्बर जैन सोसाइटी को	यह कार्य दिगम्बर जैन सोसाईटी द्वारा करवाया गया था। चूंकि इस कार्य हेतू उक्त सोसाईटी ने नगर निगम के साथ इकरारनामा किया हुआ है तथा इकरारनामें में

	लिखवाने के लिये काफी दिनों से मांग की जा रही है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नही की गयी है। इस का कारण बताया जाये।	स्मरण पत्र भी जारी कर दिया गया है व फाईल उच्च अधिकारियें को प्रस्तुत कर दी गई है। इस बारे आपके संज्ञान मे लाया जाता है कि यदि कोई भूमि /बिल्डिंग किसी संस्था को लीज पर दी जाती है तो इस बारे ऐसा कोई एक्ट में प्रावधान नही है कि मेयर एवं सभी पार्षदों का नाम उस बिल्डिंग पर लिखवाया जाये। इस बारे विधि सहायक से भी परामर्श लिया गया और बताया कि इकरारनामे में दर्ज शर्तोनुसार ऐसी कोई शर्त नही है कि सभी पार्षदों का शीलापट्ट पर नाम लिखवाने के लिए सम्बन्धित सोसाईटी को बाध्य किया जावें।	दर्ज शर्तो अनुसार का शीलापट्ट पर नाम लिखवाना संभव नही है।
27	शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये सफाई कर्मचारी की भर्ती जल्दी की जानी चाहिये क्योंकि गत दिनों नालों पर लगे कर्मचारी भी हटा दिये गये जिससे सफाई प्रबंध में काफी परेशानी हो रही है।	नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के पद अतिरिक्त सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय के यदि कमांकक 18/15/2014–2क1 दिनांक 12.08. 2014 द्वारा 765 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये है। जिनके विरुद्ध वर्तमान में 516 सफाई कर्मचारी कार्यरत है। बकाया 249 पदों पर सफाई कर्मचारी सरकार के पत्र कमांक 12/105/2014/–5कI दिनांक: 13.08. 2014 द्वारा लगाने पर नगर निगम को मासिक 24.00 लाख का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। सदन के सम्मुख प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्यसचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय, विभाग चण्डीगढ द्वारा उनके कार्यालय से जारी पत्र यादि कमांक 12/105/2014/–5कI दिनांक: 13.08. 2014 में बनाई गई चयन समिति में नगर निगम के मेयर व वरिष्ठ उपमेंयर का नाम भी सम्मलित किये जाने बारे सरकार से अनुरोध किया जाये। इसके के लिए नोडल आफिसर अपने स्तर पर पत्राचार करेंगे।

इसके अतिरिक्त मेयर महोदया की स्वीकृति उपरांत निम्नबिन्दूओं पर भी विचार विमर्श किया गया:-

कं0 सं0	एर्जेडा बिन्दू	निर्णय
1	विभिन्न वार्डो की समस्याओं बारे खुले दरबार लगाना।	श्री अनिल कुमार, पार्षद वार्ड नं0 19 द्वारा सुझाव दिया गया कि वार्डो की समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक वार्ड में आयुक्त, नगर निगम, रोहतक महोदय की अध्यक्षता में खुले दरबार लगाये जाने से वार्डो की समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि प्रत्येक वार्ड मे 15 दिन की अवधि उपरांत खुला दरबार लगाया जाये। यह तिथि सर्वप्रथम वार्ड नं0 1 के लिए तदउपरांत दूसरी तिथि वार्ड नं0 20 के लिए निर्धारित की जाये तथा इसी प्रकार बढते क्रम व घटते क्रम मे खुले दरबारों की तिथियां निर्धारित की जाये। इस बारे निगम द्वारा दो दिन पहले सम्बन्धित वार्ड में मुनादी द्वारा आमजन को सूचित किया जायेगा।
2	माननीय मुख्यमंत्री विन्डो से प्राप्त शिकायतों के निपटान बारे।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री विन्डो से प्राप्त शिकायतो या समाधान के

		तहत निगम क्षेत्र मे करवाए जाने वाले विकास कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित पार्षद को सूचित किया जाना स्वीकार है।
3	नगर परिषद के समय अलाट की गई दुकानों का किराया कम करने बारे।	नगर परिषद द्वारा कुछ समय पूर्व किराये पर दी हुई दुकानों को जनहित व परिषद हित में तोडा गया था तथा इन दुकानों में कार्य कर रहे किरायेदारों को परिषद द्वारा दूसरे स्थलों पर दुकाने अलाट की गई। परन्तु इनकी अलाटमेंट के समय इन दुकानो का किराया 500 रूपये व 3500 रूपये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी दुकानों का किराया एक समान करने बारे भू-अधिकारी सरकार से अनुरोध करें।
4	भगत सिंह पार्क में मल्टिकम्पलैक्स के निर्माण बारे।	यह निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग) द्वारा निगम के खर्चे पर करवाया जा रहा है। चौथी मंजिल के निर्माण कार्य बारे सम्बन्धित पार्षद से सलाह करने उपरांत मामले को अंगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जन सुविधा को मध्यनजर रखते हुए इस कम्पलैक्स के बीचों बीच रास्ता खुलवाया जाना स्वीकार है।
5	शमशान घाट सुखपुरा चौक का विकास करने बारे।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि शमशान घाट सुखपुरा चौक मे निर्मित हाल में पंखे,लाईटव बैंच इत्यादि की व्यवस्था निगम द्वारा की जायेगी तथा इंटरलोकिंग टाईले लगाने का कार्य भी किया जायेगा।

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों व अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 308-312 दिनांक 3-4-2015

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 313-318 दिनांक 03-04-2015

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
5. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
6. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 319-320 दिनांक 03-4-2015

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सभी सम्बन्धित अधिकार, नगर निगम, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।